संख्या-862/2017/1938/22-2-2017-17(30)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रणवीर पुत्र श्री मूला निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28850/प्रोबे-5-दया0 बैठक-12.07.2017, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रणवीर पुत्र श्री मूला जो साल्हाखेडी, थाना-बाबरी हाल थाना-तितावी, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमें की रंजिश को लेकर दिनाक 18-12-2005 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे व तबल से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-407/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 20.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.03.2017 तक 11 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा जमानत मुचलके पर रिहा तथा 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रणवीर (बन्दी संख्या-3123/2010) पुत्र श्री मूला निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-862/2017/1938/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in